प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील 683/2005

बुद्ध राम सिंग मरावी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील 598/2005

नन्द कुमार सिंह ठाकुर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

निर्णय हेतु दिनांक-29/08/2006 को सूचीबद्ध

सही/-

श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील 683/2005

बुद्ध राम सिंह मरावी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील 598/2005

नन्द कुमार सिंह ठाकुर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

उपस्थित:

अपीलार्थी बुद्ध राम सिंह मरावी की

ओर से : श्री अतुल पांडे, अधिवक्ता

अपीलार्थी नन्द कुमार सिंह ठाकुर

की ओर से : श्री शैलेन्द्र दुबे, अधिवक्ता राज्य की ओर से : श्री आशीष शुक्ला, शासकीय

अधिवक्ता

निर्णय

(29अगस्त 2006 को घोषित)

1) यह निर्णय बुधराम सिंह मरावी द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 683/2005 और नंद कुमार सिंह ठाकुर द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 598/2005 पर लागू होगा। दोनों अपीलार्थिगण को श्री ए.के. प्रधान, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.), बिलासपुर द्वारा दिनांक 12-07-2005 को दिए गए विशेष दांडिक प्रकरण संख्या 03/2005 में दिए गए निर्णय के अनुसार स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा-8 और धारा-20(ख)(ii)(आ) के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने का दण्डादेश दिया गया ,और नैतिक्रम न करने पर एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि निरीक्षक एन. खलखो (आ.सा.)-5 को गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी बुधराम अपने साथी के साथ धनरास गांव में अपने घर पर अनाधिकृत रूप से गांजा रखे हुए है। उक्त सूचना को प्रदर्श.पी-1 के तहत दर्ज करने के बाद, वह धनरास गांव में अपीलार्थी बुधराम के घर गए। अपीलार्थिगण नंद कुमार सिंह ठाकुर खाट पर सो रहे थे। खाट के नीचे तीन प्लास्टिक बैग रखा हुआ था। तलाशी लेने पर उनमें गांजे के 20 पैकेट पाए गए। बुधराम के घर की भी तलाशी ली गई और एक कमरे से एक बैग में रखा प्रतिबंधित गांजा बरामद किया गया। वजन कराया गया। बुधराम के घर से एक प्लास्टिक बैग में सात पैकेट में बरामद गांजा का

वजन 7 किलोग्राम पाया गया, नंद कुमार सिंह ठाकुर के घर से जब्त गांजा का वजन 20 किलोग्राम पाया गया। इसमें से 250 ग्राम के 20 नमूने, अपीलार्थी नंद कुमार से जब्त प्रत्येक प्लास्टिक बैग से अलग किए गए थे और इसी तरह 250 ग्राम के सात नमूने, प्रत्येक को अपीलार्थी बुधराम के घर से जब्त गांजा से अलग किया गया था। नमूनों और शेष वस्तुओं को निरीक्षक एन.खलखो (अ.सा.)- पांच द्वारा सील कर दिया गया, जो सुसंगत समय पर थाना-कोटा के थानाप्रभारी थे। प्रत्येक अपीलार्थी से जप्त किए गए गांजा से दो नमूना पैकेट, 17-11-2004 को थाना-कोटा के प्रधान आरक्षक संतोष यादव को सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया। 23-11-2004 को पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के ज्ञापन प्रदर्श.पी-32 के साथ, आरक्षक राजू को 25-11-2004 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के लिए 250 ग्राम के सीलबंद पैकेट भेजें गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श.पी--39 के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों नमूनों के पैकेट में गांजा था। विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) अपीलार्थिगण ने दोष अस्वीकार किया, अपनी बेगुनाही का दावा किया और बचाव में कोई सबूत नहीं दिया। अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थिगण को पैरा-1 में वर्णित रीति से दोषी ठहराया और उसे दण्डादेश दिया। (पूर्वीतू)

4) अपीलार्थिगण नंद कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र दुबे और अपीलार्थिगण बुधराम के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल पांडे ने अपीलार्थिगण की दोषसिद्धि का इस आधार पर चुनौती दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मालखाना पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्थान राज्य बनाम गुरमैल सिंह के मामले पर भरोसा जताया, जो खंड-I (2005) सीसीआर 228 (एससी) में प्रकाशित है। यह भी तर्क दिया गया कि हालाँकि 27 नमूना पैकेट तैयार किए गए थे, फिर भी प्रदर्श.पी-37 और पी-38 से पता चला कि केवल 4 नमूना पैकेट को अभीरक्षा हेतु प्रधान आरक्षक संतोष यादव को दिया गया शेष पैकेटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रधान आरक्षक संतोष यादव का परीक्षण नहीं कराया गया। इस प्रकार, संबंधित साक्ष्य गायब थे और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता था कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जाँचे गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है।ज़ब्ती प्राप्को पर लगी मुहर का नमूना छाप पूरी तरह से अपठनीय था और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श.पी-39 पर लगी मुहर के नमूना छाप से मेल नहीं खाता था। पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन में उस आरक्षक का नाम नहीं था जिसे नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने के लिए सौंपे गए थे। अंत में, यह तर्क दिया गया कि निरीक्षक एन. खलखो ((आ.सा.)-5) द्वारा अधिनियम की धारा-42(2) के अज्ञापक प्रावधान का पालन न करने के कारण, अपीलार्थिगण की दोषसिद्धि आपासत किए जाने योग्य है। मोहिंदर कुमार बनाम राज्य, पणजी, गोवा में प्रकाशित मामले का अवलोकन लिया गया, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 1995-सुप्रीम कोर्ट-1157 में दी गई थी। दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित फैसले के समर्थन में तर्क दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करते हुए, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है।

अधिनियम के तहत अपराधों के लिए प्रदान की गई निवारक सजा को देखते हुए, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वस्तुओं और उनसे तैयार किए गए सीलबंद नमूनों की पवित्रता का उल्लंघन तब तक नहीं किया गया था जब तक कि नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं पहुँचाई गई। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने मालखाना रजिस्टर पेश नहीं किया जिसके कारण अभियोजन ही बता सकते हैं। हालांकि, निरीक्षक एन. खालखो (अ.सा.)-5 की गवाही से पता चला कि नंद कुमार से जब्त किए गए गांजे से 20 नमूने तैयार किए गए थे और अपीलार्थी बुधराम से जब्त किए गए गांजे से 7 नमूने तैयार किए गए थे, फिर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि अकेले प्रत्येक अपीलार्थी से जब्त की गई वस्तुओं से केवल पावती पर्ची प्रदर्श.पी-37 और पी-38 के माध्यम से सुरक्षित रखा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मलखाना रजिस्टर में प्रविष्टि क्यों नहीं की गई और इसे पेश न करने के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जब्ती प्रदर्शपी प्रदर्श.पी-27 और प्रदर्श.पी-13 पर चिपकाई गई मुहर पूरी तरह से अपठनीय है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा लगायी गई मुहर के नमूने की छाप से मेल नहीं खाती है, इसकी रिपोर्ट प्रदर्श.पी-39। पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन प्रदर्श.पी-32 में यह भी उल्लेख नहीं है कि नमूने के पैकेट के साथ मुहर की नमूना छाप भी भेजी गई थी। इसमें उस आरक्षक के नाम का भी उल्लेख नहीं है जिसे नमूने के पैकेट सौंपे गए थे। यह दिखाने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि नमूने सीलबंद हालत में आरक्षक (अ.सा.)-2 को सौंपे गए थे। उनकी गवाही उतनी ही अस्पष्ट है जितनी हो सकती है। यह नहीं

दर्शाता है कि नमूने उन्हें सीलबंद हालत में प्राप्त हुए थे। अतः उपरोक्त परिस्थितियों मे (2005) सी. सी. आर. 228 (एस. सी.) में रिपोर्ट किए गए राजस्थान राज्य बनाम गुरमैल सिंह के मामले पर भरोसा करते हुए मेरी राय है कि नमूनों की सीलबंद और अधिनियम की धारा-55 द्वारा अज्ञापक रूप से उन्हें सौंपने के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर खामियां हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की कड़ी पूरी तरह से असंतोषजनक है और अभियोजन पक्ष की कहानी को बेहद संदिग्ध बनाता है।

6) अधिनियम की धारा-42(2) के अनुपालन न करने के संबंध में, यद्यपि अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज प्रदर्श.पी-2 दाखिल किया है फिर भी यह नहीं दर्शाता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उप निरीक्षक एन. खलखो (आ.सा.)-5 द्वारा भेजी गई सूचना प्राप्त हुई थी। उप निरीक्षक एन. खलखो (आ.सा.)-5 ने स्वीकार किया है कि गुप्त सूचना दर्ज करने के बाद किसी भी समय उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बुधराम के घर की तलाशी लेने के अपने विश्वास के आधार के बारे में नहीं बताया। इस प्रकार, अधिनियम की धारा-42(2) के अज्ञापक प्रावधान का गंभीर उल्लंघन है। मोहिंदर कुमार बनाम राज्य, पणजी, गोवा आदेश के मद्देनजर, जिसकी रिपोर्ट ए.आई.आर. 1995-सुप्रीम कोर्ट-1157 में प्रकाशित प्रकरण दृष्टिगत अपीलार्थिगणओं की दोषसिद्धि केवल इसी आधार पर आपासत किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) अधिनियम की धारा-8 और धारा-20(ख)(ii)(अ) के अंतर्गत अपराध का मुख्य घटक कब्ज़ा है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थिगणओं के पास प्रतिबंधित

वस्तुएँ सचेतन रूप से थीं। स्वतंत्र गवाह सतल राम अ.सा-1 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और कहा कि उन्हें पुलिस थाना बुलाया गया था और उनसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। एक अन्य स्वतंत्र गवाह परदेशी राम वैष्णव का अभियोजन पक्ष ने परीक्षण नहीं की, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस आधार पर अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाता है। पटवारी चंद्रिका प्रसाद कश्यप अ.सा.-3 स्वीकार किया कि जब उन्होंने घटनास्थल का नक्शा एक्स.पी-35 तैयार किया था, उस समय अपीलार्थिगण मौजूद नहीं थे। निरीक्षक एन. खलखो (अ.सा.)-5 की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थिगण नंद कुमार खाट पर सो रहे थे, जिसके नीचे तीन प्लास्टिक बैग रखे हुए थे। घर अपीलार्थिगण नंद कुमार का नहीं था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थिगण नंद कुमार के सचेत कब्जे से प्रतिबंधित गांजा बरामद किया गया था। इसी तरह, एन. खलखो (अ.सा.)-5 की गवाही से यह नहीं पता चला कि अपीलार्थिगण बुधराम के परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद थे या नहीं। अभिलेख पर ऐसा कोई कानूनी सबूत नहीं है जो दिखाए कि जिस घर से गांजा जब्त किया गया था, वह अपीलार्थिगण बुधराम का था। निरीक्षक एन. खलखो (अ.सा.)-5 की गवाही के पैरा-5 में भी बुधराम के घर के एक कमरे से जब्त किए गए कथित प्रतिबंधित गांजे पर अपीलार्थिगण बुधराम के सचेत कब्जे का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। पटवारी चंद्रिका प्रसाद कश्यप (अ. सा.-3), जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्र. पी.-35) तैयार किया था, की गवाही, निरीक्षक एन. खलखो (अ.सा-5) की इस गवाही को पूरी तरह से खारिज कर देती है कि गांजा अपीलार्थिगण बुधराम के घर के कमरे के अंदर से बरामद किया गया था, क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गांजा गलियारा से बरामद किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, यह दर्शाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि गांजा अपीलार्थिगण बुधराम के सचेत कब्जे से जब्त किया गया था।

8) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा-8 और धारा-20 (ख) (ii) (अ) के तहत अपीलार्थिगणओं की दोषसिद्धि और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उसके तहत दी गई दण्डादेश आपासत किए जाने योग्य हैं।

9) परिणामस्वरूप, दांडिक अपील संख्या 683/2005 और दांडिक अपील संख्या 598/2005 दोनों स्वीकार की जाती हैं। अधिनियम की धारा 8 और धारा 20 (ख) (ii) (अ) के अंतर्गत अपीलार्थिगणओं की दोषसिद्धि और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उसके अंतर्गत दी गई सजाएँ आपासत की जाती हैं। अपीलार्थिगणओं को दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाएँ। यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

<u>श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख</u>

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By SrijanShrivastava,Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur